



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-08082026-275287
CG-DL-W-08082026-275287

साप्ताहिक/WEEKLY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 32] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 8—अगस्त 14, 2026 (श्रावण 17, 1948)
No. 32] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 8—AUGUST 14, 2026 (SRAVANA 17, 1948)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ सं.		पृष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं.....	369	छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं.....	*
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	775	भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं).....	*
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	9	भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश.....	*
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	1041	भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.....	2955
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम.....	*	भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस.....	*
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ.....	*	भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.....	*
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट.....	*	भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं.....	1
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं).....	*	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस.....	6365
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक		भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक.....	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

	Page No.		Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	369	(other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	775	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence.....	9	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	1041	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	2955
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations.....	*	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	6365
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India		PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received.

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 3 अगस्त 2026

शुद्धिपत्र

इस कार्यालय के संकल्प सं. क्यू/हिन्दी/621/23/2019, दिनांक-17 मार्च, 2026 में मद सं. 5 एवं 6 में भूलवश निम्नलिखित नाम प्रकाशित हो गए हैं:—

श्री धर्मेन्द्र कुमार कश्यप - सदस्य

श्री इरण्ण कडाडि - सदस्य

उपर्युक्त दोनों नामों के स्थान पर मद सं. 5 एवं 6 में क्रमशः निम्नलिखित नाम प्रकाशित किए जाएं:—

श्री राजेश वर्मा - सदस्य

श्री सतपाल ब्रह्मचारी - सदस्य

उक्त संकल्प में अन्य सभी प्रावधान एवं शर्तें यथावत प्रभावी रहेंगी।

अंजु रंजन

संयुक्त सचिव, आरबीबी, आई एवं टी

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

नई दिल्ली-110023, दिनांक 14 जुलाई 2026

संकल्प

सं. ई-11020/1/2024-हिन्दी—राजभाषा विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 11/20015/45/87-रा.भा. (क-2) दिनांक 15-3-1988 तथा कार्यालय ज्ञापन सं. 11/20015/6/92-रा.भा. (क-2) दिनांक 10-6-1992 में निहित निदेशों के अनुसरण में भारत सरकार एतद्वारा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति का निम्नानुसार पुनर्गठन करती है :—

पुनर्गठन		
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री		अध्यक्ष
युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री		उपाध्यक्ष
गैर-सरकारी सदस्य		
संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा नामित सदस्य		
1.	श्री राधेश्याम राठिया (लोक सभा)	सदस्य
2.	श्री अनूप संजय धोत्रे (लोक सभा)	सदस्य
3.	श्रीमती साधना सिंह (राज्य सभा)	सदस्य
4.	सुश्री स्वाति मालिवाल (राज्य सभा)	सदस्य

संसदीय राजभाषा समिति द्वारा नामित सदस्य		
5.	श्री कल्याण बनर्जी (लोक सभा)	सदस्य
6.	श्री राजेश वर्मा (लोक सभा)	सदस्य
केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद, 116, टाइप-IV, लक्ष्मीबाई नगर, नई दिल्ली-110023 के प्रतिनिधि		
7.	श्री प्रवीण सिंह चौहान 573, सेक्टर-8, रामकृष्ण पुरम, नई दिल्ली-110022	सदस्य
अखिल भारतीय हिन्दी संस्था/संघ के प्रतिनिधि		
8.	श्री रामाराव (संस्था का नाम व पता- हिन्दी प्रचार सभा हैदराबाद, हिन्दी भवन, एल.एन.गुप्त मार्ग, नामपल्ली स्टेशन रोड, हैदराबाद- 500001) संपर्क विवरण- हिन्दी पंडित ट्रेनिंग कॉलेज, हिन्दी भवन, नेताजी नगर, रोड नं. 1 नियर गुरुकुल अण्ड ऐ.एल.टी. डी पो. राजमहेन्द्रवरम- 515001 (पू.)	सदस्य
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा नामित गैर-सरकारी सदस्य		
9.	प्रो. सुधीर प्रताप सिंह, अध्यक्ष, भारतीय भाषा केन्द्र, भाषा, साहित्य एवं संस्कृति अध्ययन संस्थान, एवं पूर्व डीन छात्र, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली-110067	सदस्य
10.	डॉ अंशुल श्रीवास्तव, सहायक प्रोफेसर (पार्ट टाइम), महाराणा प्रताप कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, ग्वालियर पता- 708, आदित्य रेजीडेन्सी, सचिन तेंदुलकर मार्ग, ग्वालियर.	सदस्य
11.	डा. स्वाति पालिवाल, डीन, सहायक प्रोफेसर, प्रमुख- हिन्दी, गुरुनानक कॉलेज (स्वायत्त), चैन्ने पता- एलएचएस 2 क्वाटर्स, स्प्रिंग हेवन रोड, चैन्ने पोर्ट प्रधिकरण, तमिलनाडु	सदस्य
12.	डॉ. प्रणव कुमार मिश्रा, प्रमुख, हिन्दी विभाग, बीएसएनवी पी.जी. कॉलेज, लखनऊ पता- 6/246, जानकीपुरम विस्तार लखनऊ, उत्तर प्रदेश	सदस्य
गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा नामित गैर-सरकारी सदस्य		
13.	सुश्री सिंध्या बैनिला खारबुली, डाँग पुंग, माँलाई इवरिंघेप, शिलांग, मेघालय- 793017	सदस्य
14.	श्री मनमीत कुमार मिश्रा, गांव एवं डाक घर-मंगूराहा, जिला- पूर्वी चंपारण, बिहार- 845458	सदस्य
15.	श्री मिर्जा इस्मियाज़ अली, बी-1-1 माई होम अपार्टमेंट्स, विसालांद्रा रोड, चुट्टुगुंटा, विजयवाड़ा- 520002, आंध्रप्रदेश	सदस्य
सरकारी सदस्य		
गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग		
16.	सचिव, राजभाषा विभाग	सदस्य
17.	संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग	सदस्य

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय तथा इसके अधीनस्थ कार्यालय		
18.	सचिव (युवा कार्यक्रम)	सदस्य
19.	सचिव (खेल)	सदस्य
20.	अपर सचिव (युवा कार्यक्रम)	सदस्य
21.	संयुक्त सचिव (युवा कार्यक्रम)	सदस्य सचिव
22.	संयुक्त सचिव (नीति)	सदस्य
23.	संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार (युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय)	सदस्य
24.	संयुक्त सचिव (शासन)	सदस्य
25.	संयुक्त सचिव (खेलो इंडिया)	सदस्य
26.	सचिव, भारतीय खेल प्राधिकरण	सदस्य
27.	सीईओ, माय भारत	
28.	कुलपति, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर	सदस्य
29.	निदेशक, राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान, भीमानथांगल, श्रीपेरम्बुदूर, तमिलनाडु	सदस्य
30.	महानिदेशक, राष्ट्रीय डोपरोधी एजेंसी (नाडा), नई दिल्ली।	सदस्य
31.	वैज्ञानिक निदेशक, राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला (एनडीटीएल), नई दिल्ली।	सदस्य

कार्यक्षेत्र

2. समिति का कार्य संविधान, राजभाषा अधिनियम व नियमों में राजभाषा के संबंध में किए गए उपबंधों, केंद्रीय हिन्दी समिति के निर्णयों और राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए निर्देशों/अनुदेशों के कार्यान्वयन के बारे में तथा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के कामकाज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने के बारे में सलाह देना होगा।

कार्यकाल

3. समिति का कार्यकाल समिति के गठन की तारीख से, निम्नलिखित बातों के अधीन, सामान्यतः तीन वर्ष का होगा :—

- (क) जो संसद सदस्य समिति के सदस्य हैं, वे संसद सदस्य न रहने पर इस समिति के सदस्य नहीं रहेंगे।
- (ख) समिति के पदेन सदस्य अपने पद पर कार्य करते रहने तक ही समिति के सदस्य रहेंगे।
- (ग) किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने अथवा समिति की सदस्यता से त्यागपत्र दे देने के कारण खाली हुए स्थान पर मनोनीत सदस्य समिति के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए ही सदस्य होगा।
- (घ) समिति के कार्यकाल की अवधि के बीच यदि किसी व्यक्ति को समिति का सदस्य नामित किया जाता है, तो वह समिति के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए ही सदस्य होगा।

मुख्यालय

4. समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।

यात्रा भत्ता तथा अन्य भत्ते

5. गैर-सरकारी सदस्यों को समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए, यात्रा तथा दैनिक भत्ता भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों तथा राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन सं. 11/20034/4/86-रा.भा. (क-2) दिनांक 22 जनवरी, 1987 में निहित निर्देशों के अनुसार दिया जाएगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों, राष्ट्रपति सचिवालय, उपराष्ट्रपति सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, महालेखाकार, केंद्रीय राजस्व और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों को भेजी जाए। यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को आम जानकारी के लिए भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

शिव रतन
संयुक्त सचिव

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 3rd August 2026

CORRIGENDUM

In this Office Resolution No. Q/Hindi/621/23/2019 dated 17th March, 2026, the following names were inadvertently published against Item Nos. 5 and 6:—

Shri Dharmendra Kumar Kashyap - Member

Shri Iranna Kadadi - Member

The following names may be published against Item Nos. 5 and 6 respectively in place of the aforementioned two names:—

Shri Rajesh Verma - Member

Shri Satpal Brahamchari - Member

All other provisions and conditions of the said Resolution shall remain unchanged.

ANJU RANJAN
Joint Secretary, RBB, I & T

MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS

New Delhi-110023, the 14th July 2026

RESOLUTION

No. E-11020/1/2024-Hindi—In pursuance of the directives contained in the Department of Official Language O.M. No. II/20015/45/87-OL(A-2) dated 15.3.1988 and O.M. No. II/20015/6/92-OL(A-2) dated 10.6.1992, the Government of India hereby reconstitutes the Hindi Advisory Committee of the Ministry of Youth Affairs and Sports as under:—

Reconstitution		
Youth Affairs and Sports Minister		Chairman
Minister of State, Ministry of Youth Affairs and Sports		Deputy Chairman
Non-Official Members :		
Members nominated by Ministry of Parliamentary Affairs :		
1.	Shri Radheshyam Rathiya (Lok Sabha)	Member
2.	Shri Anup Sanjay Dhotre (Lok Sabha)	Member
3.	Smt. Sadhna Singh (Rajya Sabha)	Member
4.	Ms. Swati Maliwal (Rajya Sabha)	Member
Members nominated by Parliamentary Committee on Official Language		
5.	Shri Kalyan Banerjee (Lok Sabha)	Member
6.	Shri Rajesh Verma (Lok Sabha)	Member
Representative of Kendriya Sachivalaya Hindi Parishad, 116, Type IV, Laxmi Bai Nagar, New Delhi-110023		
7.	Shri Pravin Singh Chauhan 573, Sector-8, Ramkrishan Puram, New Delhi-110008	Member
Representative of Akhil Bhartiya Hindi Sanstha/ Sangh		
8.	Shri Rama Rao (Name and address of organization: Hindi Prachar Sabha Hyderabad, Hindi Bhavan, L.N. Gupta Marg, Nampally Station Road, Hyderabad-500001) Contact Details: Hindi Pandit Training College, Hindi Bhavan, Netaji Nagar, Road No. 1 Near Gurukul & A.L.T. D. Pos. Rajamahendravaram-515001 (East)	Member

Non Official Members nominated by Ministry of Youth Affairs and Sports		
9.	Proff. Sudhir Pratap Singh, Chairman, Centre for Indian Languages, School of Language, Literature and Cultural studies, and Ex. Deen student, Jawaharlal Nehru University, New Delhi-110067	Member
10.	Dr. Anshul Srivastava, Assistant Professor (Part-time), Maharana Pratap College of Technology, Gwalior Address: 708, Aditya Residency, Sachin Tendulkar Marg, Gwalior.	Member
11.	Dr. Swati Paliwal, Dean, Assistant Professor, Head - Hindi, Gurunanak College (Autonomous), Chennai Address: LHS 2 Quarters, Spring Haven Road, Chennai Port Authority, Tamil Nadu	Member
12.	Dr. Pranav Kumar Mishra, Head, Hindi Department, BSNV PG College, Lucknow Address: 6/246, Jankipuram Extension, Lucknow, Uttar Pradesh	Member
Non-Official Members nominated by Department of Official Language, Home Ministry		
13.	Ms. Sindhya Banila Kharbuli, Dong Pung, Mawlai Iewrynghep, Shillong, Meghalaya - 793017	Member
14.	Shri Manmeet Kumar Mishra, Village & Post Office – Manguraha, District – East Champaran, Bihar – 845458	Member
15.	Shri Mirza Imtiaz Ali, B-1-1 My Home Apartments, Visalandra Road, Chuttugunta, Vijayawada - 520002, Andhra Pradesh	Member
Official Members		
Department of Official Language, Home Ministry		
16.	Secretary, Department of Official Language	Member
17.	Joint Secretary, Department of Official Language	Member
Ministry of Youth Affairs and Sports and its Subordinate Offices		
18.	Secretary (Youth Affairs)	Member
19.	Secretary (Sports)	Member
20.	Additional Secretary (Youth Affairs)	Member
21.	Joint Secretary (Youth Affairs)	Member Secretary
22.	Joint Secretary (Policy)	Member
23.	Joint Secretary and Financial Advisor (Ministry of Youth Affairs and Sports)	Member
24.	Joint Secretary (Governance)	Member
25.	Joint Secretary (Khelo India)	Member
26.	Secretary, Sports Authority of India	Member
27.	CEO, My Bharat	Member
28.	Vice Chancellor, Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior	Member
29.	Director, Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development, Bheemanthangal, Sriperumbudur, Tamil Nadu	Member
30.	Director General, National Anti-Doping Agency (NADA), New Delhi	Member
31.	Scientific Director, National Dope Testing Laboratory (NDTL), New Delhi	Member

Functions

2. The functions of the Committee will be to render advice in regard to the implementation of the provisions relating to Official Language contained in the constitution, Official Language Act and Rules and Policy decisions of the Kendriya Hindi Samiti and instructions issued by the Department of Official Language related to Official Language and also in regard to the progressive use of Hindi in the Ministry of Youth Affairs and Sports.

Tenure

3. The tenure of the Committee will normally be three years from the date of its reconstitution subject to the following:—

- (a) a member, who is Member of Parliament, will cease to be a member of the Committee as soon as he ceases to be Member of Parliament;
- (b) ex-officio members of the Committee shall continue as members so long as they hold the office by virtue of which they are members of the Committee;
- (c) a member nominated in a vacancy arising in the Committee due to the death or resignation of any member shall hold office for the residual term.
- (d) if a person is nominated as member in the middle of the term, he shall hold office for the residual term of the Committee.

Headquarters

4. The Headquarters of the Committee shall be at New Delhi.

Travelling and other Allowances

5. The non-official members will be paid travelling and daily allowances for attending the meetings of the Committee at the rates fixed by the Government of India from time to time and as per instructions contained in the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Government of India, Office Memorandum Number II/20034/4/86-OL(A-2) dated 22nd January 1987.

ORDER

Ordered that a copy of this Resolution be sent to all State Governments, Union Territories Administrations, President's Secretariat, Vice President's Secretariat, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Office, Ministry of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Comptroller and Auditor General of India, Accountant General, Central Revenues and All Ministries/ Departments of Government of India.

It is also ordered that a copy of this Resolution be published in the Gazette of India for General information.

SHIV RATAN
Joint Secretary